दिनांक 07.10.2024
प्रेस विज्ञप्ति 11/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना फेस–2</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद**

दिनांक 07.10.2024 को थाना फेस–2 पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर डिस्पले चौराहा के पास से मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में अभियुक्त शकील घायल हो गया। जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे/निशादेही से चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट), 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस बरामद हुए। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जिसके विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर के विभिन्न थानो में चोरी, आबकारी एक्ट, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर से वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना फेस–2 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–शकील निवासी सलारपुर थाना सेक्टर–39 कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, मूलपता ग्राम रोशनपुर थाना चरखारी जनपद महोबा।

बरामदगी

1–चोरी की 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट)।

2–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

जनपद मेरठ/थाना टीपीनगर

- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट के 01 लाख 38 हजार रूपये नगद**
- **02 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस**
- **घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद**

दिनांक 06.10.2024 को थाना टीपीनगर पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर शनि मन्दिर के पास से 02 अभियुक्तों 1–सतेन्द्र 2–गौरव को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट के 01 लाख 38 हजार रूपये नगद, 02 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस, घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि बरामद हुई।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 27.09.2024 को थाना टीपीनगर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्तों की गिरफ्तारी व माल बरामदगी के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद रूपया लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना टीपीनगर पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सतेन्द्र निवासी मुजफ्फरनगर सैनी थाना इंचौली जनपद मेरठ, हालपता अम्बेडकर पार्क मलियाना थाना टीपीनगर जनपद मेरठ।

2–गौरव निवासी मुजफ्फरनगर सैनी थाना इंचौली जनपद मेरठ।

बरामदगी

1—लूट के 01 लाख 38 हजार रूपये नगद।

2—02 मोबाइल फोन।

3—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

4—घटना में प्रयुक्त 01 मोटर साइकिल आदि।

जनपद जौनपुर/थाना मडियाहूँ

- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लूट/चोरी के 52 हजार 200 रूपये नगद**
- **लूट/चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण**
- **चोरी की 01 मोटर साइकिल**
- **02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 06/07.2024 को थाना मड़ियाहूँ व थाना लाइनबाजार की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम उन्च्नीकला सई नदी के पास से 03 अभियुक्तों 1—दीपक 2—रवि 3—सुरेशचन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लूट/चोरी के 52 हजार 200 रूपये नगद, लूट/चोरी के सोने—चाँदी के आभूषण, चोरी की 01 मोटर साइकिल, 02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त दीपक के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट आदि के 04 अभियोग, अभियुक्त रवि के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, एनडीपीएस एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग एवं अभियुक्त सुरेशचन्द्र के विरूद्ध जनपद जौनपुर के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त से बरामद रूपया, आभूषण आदि लूट/चोरी की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना मड़ियाहूँ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–दीपक निवासी ग्राम हरईपुर थाना लाइनबाजार जनपद जौनपुर।

2–रवि निवासी ग्राम कठिरांव थाना फूलपुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3–सुरेशचन्द्र निवासी ग्राम अल्लीपुर थाना मडियाहूँ जनपद जौनपुर।

बरामदगी

1–लूट/चोरी के 52 हजार 200 रूपये नगद।

2–लूट/चोरी के सोने–चाँदी के आभूषण।

3–चोरी की 01 मोटर साइकिल।

4–02 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस आदि।

जनपद इटावा/थाना वैदपुरा

- **चोरी की घटना का अनावरण**
- **पुलिस कार्यवाही में 10 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी के 222 टावर पीस एंगल**
- **06 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.10.2024 को थाना वैदपुरा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर छिमारा तिराहा से जसवन्तनगर जाने वाले रास्ते में रेलवे क्रासिंग के पास से पुलिस कार्यवाही में अभियुक्त 1–सुनील 2–पप्पू उर्फ शरताज 3–प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू 4–अमित कुमार 5–दीपक 6–शकील को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के निशादेही पर अभियुक्त 7–दीपक 8–सुखदेव 9–सूरज 10–अंकित को गिरफ्तार कर चोरी की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के

कब्जे/निशादेही से चोरी के 222 टावर पीस एंगल, 06 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 पिकअप वाहन आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.10.2024 को थाना वैदपुर क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात चोरो द्वारा चोरी की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना वैदपुर पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद एंगल आदि चोरी की घटनाओ से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना वैदपुरा पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–सुनील निवासी ग्राम गंधरपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

2–पप्पू उर्फ शरताज निवासी दाईपुर भवानीपुर थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

3–प्रदीप कुमार उर्फ कल्लू निवासी गंधरपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

4–अमित कुमार निवासी ग्राम गंधरपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

5–दीपक निवासी ग्राम मादा थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

6–शकील निवासी धरसोना थाना चोलापुर कमिश्नरेट वाराणसी।

7–दीपक निवासी ग्राम जहरना थाना पुबायाँ जनपद शहाजहाँपुर।

8–सुखदेव निवासी ग्राम जहरना थाना पुबायाँ जनपद शहाजहाँपुर।

9–सूरज निवासी कोरोकुँआ थाना सिधौली जनपद शहाजहाँपुर।

10–अंकित निवासी ग्राम गंधरपुर थाना सिंधौली जनपद शाहजहाँपुर।

बरामदगी

1–चोरी के 222 टावर पीस एंगल।

2–06 अवैध शस्त्र विभिन्न बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

3–01 ट्रैक्टर मय ट्राली, 01 पिकअप वाहन आदि।

कमिश्नरेट प्रयागराज/थाना मेजा

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 41 मोबाइल फोन**
- **14 हजार 600 रूपये नगद बरामद**

दिनांक 07.10.2024 को थाना मेजा व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर नवोदय विद्यालय मोड़ के पास से 05 अभियुक्तों 1–शिवकुमार 2–सुभाष कुमार 3–वाल्मीकी 4–हसनैन उर्फ शाहुल 5–अजय को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 41 मोबाइल फोन, 14 हजार 600 रूपये नगद बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त शिवकुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में चोरी आदि के 05 अभियोग, अभियुक्त सुभाष कुमार के विरूद्ध कमिश्नरेट प्रयागराज के विभिन्न थानो में लूट, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग एवं अभियुक्त हसनैन उर्फ शाहुल व अजय के विरूद्ध चोरी, धोखाधड़ी आदि के अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना मेजा पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–शिवकुमार निवासी ग्राम कोल्हेपुर थाना जिगना जनपद मिर्जापुर।

2–सुभाष कुमार निवासी ग्राम परमान्दपुर रिखीपुर थाना हण्डिया कमिश्नरेट प्रयागराज।

3–वाल्मीकी निवासी हरिजन बस्ती थाना दारागंज कमिश्नरेट प्रयागराज।

4–हसनैन उर्फ शाहुल निवासी अकोडा थाना कौधियारा कमिश्नरेट प्रयागराज।

5–अजय निवासी मइयन थाना वैराड जनपद शिवपुरी मध्यप्रदेश।

बरामदगी

1–लगभग 06 लाख रूपये कीमत के चोरी के 41 मोबाइल फोन।

2–14 हजार 600 रूपये नगद।

जनपद सहारनपुर/थाना बिहारीगढ़

- **04 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 605 ग्राम अवैध स्मैक**
- **02 दो पहिया वाहन आदि बरामद**

दिनांक 07.10.2024 को थाना बिहारीगढ़ पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर ग्राम नौरंगपुर के पास से 04 अभियुक्तों 1–मुस्तफा 2–साजिद पुत्र इकराम 3–साजिद पुत्र खलील 4–राशिद को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 605 ग्राम अवैध स्मैक, 02 दो पहिया वाहन आदि बरामद हुए।

इस सम्बन्ध में थाना बिहारीगढ़ पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मुस्तफा निवासी ग्राम खिडका भटका थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

2–साजिद पुत्र इकराम निवासी डोली खाल थाना कुतुबशेर जनपद सहारनपुर।

3–साजिद पुत्र खलील निवासी ग्राम खिडका भटवा थाना बेहट जनपद सहारनपुर।

4–राशिद निवासी ग्राम घाटमपुर थाना नुकुड जनपद सहारनपुर।

बरामदगी

1–लगभग 50 लाख रूपये (अन्तर्राष्ट्रीय कीमत) के 605 ग्राम अवैध स्मैक।

2–02 दो पहिया वाहन आदि।

- **जनपद शाहजहाँपुर/थाना खुदागंज (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद शाहजहाँपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद शाहजहाँपुर द्वारा थाना खुदागंज पर पंजीकृत अभियोग में धारा 302/34/323 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त 1–रिषीपाल 2–रामपाल 3–नवी को आजीवन कारावास व 10–10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

- **जनपद हाथरस/थाना हाथरस गेट (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा 03 अभियुक्तो को आजीवन कारावास की सजा व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद हाथरस पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद हाथरस द्वारा थाना हाथरस गेट पर पंजीकृत अभियोग में अभियुक्त 1–योगेश उर्फ यश शाहनी 2–बबलू उर्फ महेश 3–शेट्टी उर्फ गिर्राज धारा 302/34 भादवि के अन्तर्गत आजीवन कारावास व 20–20 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं अभियुक्त योगेश उर्फ यश शाहनी को धारा 25 आर्म्स एक्ट के अन्तर्गत 03 वर्ष सश्रम कारावास व 10 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

एस0टी0एफ0–अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राम कुमार बारिक ओडिसा से गिरफ्तार।

दिनांक 04–10–2024 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को अन्तर्राज्यीय स्तर पर मादक पदार्थो की तस्करी करने वाले गिरोह का सरगना एवं रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित अभियुक्त राम कुमार बारिक को ओडिसा से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरणः

1– राम कुमार बारिक पुत्र श्याम सुन्दर बारिक निवासी रूण्डीमल थाना कन्टामल, जनपद बौद्ध, ओडिसा।

गिरफ्तार अभियुक्त से बरामदगीः

1– 02 अदद मोबाइल फोन।

2– 01 आधार कार्ड।

3– 01 अदद पैन कार्ड।

4– 02 अदद बैंक स्टेटमेण्ट।

5– 02 अदद चेक बुक।

उल्लेखनीय है कि एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश को विगत काफी दिनों से उड़ीसा प्रान्त से मथुरा–आगरा व उसके आस–पास के जनपदों में मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले अपराधियों/तस्करों के सक्रिय होने की सूचनायें प्राप्त हो रही थी। इस सम्बन्ध में एस0टी0एफ0 की विभिन्न इकाईयों/टीमों द्वारा अभिसूचना संकलन एवं कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया था।

उड़ीसा से झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान होते हुए श्रीनगर–कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग से भेजा जा रहा था। दिनांक 25–02–2022 को एस0टी0एफ0, उत्तर प्रदेश टीम द्वारा इस गिरोह के 02 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से लगभग 11.57 कुन्तल से अधिक गॉजा (अनुमानित मूल्य लगभग 02.90 करोड़ रूपये) श्रीनगर–कन्याकुमारी राष्ट्रीय राजमार्ग थाना क्षेत्र कोतवाली, जनपद–ललितपुर से बरामद किया गया था। जिसके विरूद्ध थाना कोतवाली, जनपद–ललितपुर में मु0अ0सं0 120/2022 धारा 8, 20, 25, 29, 60(3) एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत कराया गया था। उक्त अभियोग की विवेचना श्री सत्यसेन यादव अपर पुलिस अधीक्षक, एसटीएफ उ0प्र0 लखनऊ के पर्यवेक्षण में निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा द्वारा की जा रही थी। विवेचना के क्रम में राम कुमार बारिक निवासी ओडिसा के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य होने के उपरान्त इसके विरूद्ध रू0 25,000/– का पुरस्कार घोषित किया गया था। जिसके गिरफ्तारी हेतु एसटीएफ उ0प्र0 टीम द्वारा अभिसूचना संकलन किया जा रहा था। इस दौरान ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राम कुमार बारिक भुवनेष्वर में छिपकर रह रहा है। इस सूचना पर विवेचक/निरीक्षक श्री प्रमोद कुमार वर्मा के नेतृत्व में उ0नि0 विरेन्द्र सिंह यादव मु0आ0 प्रभात कुमार, विजेन्द्र नाथ राय, चालक राकेष मिश्र की एक टीम भुवनेष्वर (ओडिसा) रवाना की गयी। एसटीएफ टीम भुवनेष्वर पहुॅचकर स्थानीय पुलिस से सम्पर्क करके उनके सहयोग से वांछित अभियुक्त उपरोक्त को दिनांक 04–10–2024 को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके पास से उपरोक्त बरामदगी हुई।

गिरफ्तार अभियुक्त ने पूछताछ पर बताया कि वह उत्तर प्रदेष, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान सहित अन्य राज्यों के गॉजा तस्करों से सम्पर्क करके ओडिसा राज्य से उनको गॉजा उपलब्ध कराता है, जिसका पैसा हवाला एवं अपने बैंक खाते में लेता है।

गिरफ्तार उपरोक्त अभियुक्त को मा0 न्यायालय सीजेएम जनपद खोरदा (ओडिसा) के समक्ष प्रस्तुत करके 72 घण्टे का रिमाण्ड प्राप्त किया गया है। अग्रिम विविध कार्यवाही कोतवाली ललितपुर जनपद ललितपुर द्वारा की जा रही है।

———————